

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग


(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
उत्तराखण्ड की विधान सभा के 46-कपकोट के लिए निर्वाचन
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—
श्री सुरेश गढ़िया,
ग्राम-सीमा, पो0-हरसीला, जिला-बागेश्वर
जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) के द्वारा खड़े
किए गए।
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन के स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए
हैं।

स्थान-बागेश्वर

दिनांक- 10.03.2022


रिटर्निंग आफीसर

46-कपकोट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

रिटर्निंग आफीसर
46-कपकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
जनपद-बागेश्वर

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(SEE Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand from 46-Kapkot

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules. 1961,

I declare that Shri Suresh Gariya, Vill-Seema, P.O-Harshila, District-Bageshwar Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of The Recognized / Registered Political Party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place- Bageshwar

Date- 10-03-2022


Returning Officer

46-Kapkot

Assembly Constituency.

रिटर्निंग ऑफिसर
46-कपकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
जनपद-बागेश्वर